03/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप० वाद वादी खारिज। निर्णयानुसार हुए लिखित निर्णय शामिल मिसल किया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/73

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

दावा सख्या–240/2023 GCMS:- 2023/73 दायरा दिनांक :–29.08.2023

रामकुमार पुत्र श्री नानुराम जाति नायक साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी हाल निवास वार्ड न. 6, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. गीता देवी
3. रोशनी देवी
4. सावित्री देवी

} पुत्रीयान श्री कृष्ण पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी हाल निवास वार्ड न. 6, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

5. अमरजीतसिह पुत्र
6. जगजीतसिह पुत्र
7. श्रवण सिह पुत्र
8. कुलदीप कौर पुत्री
9. बिरो पत्नी
10. मलकीतो पुत्री

} पुत्रगण/पुत्रीया/पत्नी महेन्द्र सिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड न. 16, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

11. बंशीलाल पुत्र श्री सैदाराम जाति नायक साकिन मालसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
13. उप पजींयक कार्यालय सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53–209 आर.टी.ए.</u>

उपस्थित :– 1. शिशपाल शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. बृजमोहन शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न. 11)

:: निर्णय ::– दिनांक– 03.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह [illegible] कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः– 240 / 2023
रामकुमार बनाम दलीपकुमार आदि

प्रतिवादी न. 1 ता 4 के पिता कृष्ण पुत्र चुनीराम के नाम से चक 14 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2071 ता 2074 के खाता न. 6 / 55 के पत्थर न0 74 / 380 के किला न. 16 / 1, 17 / 1, 18 / 1, 19 / 1, 22 ता 25 में 1.772 हैक व पत्थर न. 74 / 381 के किला न. 2 ता 4 में 0.759 हैक कुल 2.531 हैक अ0क0 में 2 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी न. 5 ता 10 के पिता महेन्द्र के नाम से 3 / 5 हिस्सा खातेदारी व चक 13 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2070 ता 2073 के खाता न. 7 / 12 के पत्थर न. 72 / 381 के किला न. 18–19–22 में 0.759 हैक व पत्थर न. 73 / 381 के किला न. 1 / 2, 10 / 2, 11 / 1, 17 ता 19, 20 / 1, 21 / 2, 22 ता 25 में 2.911 हैक कुल 3.670 हैक अनकमाण्ड रकबा प्रतिवादी न. 1 ता 10 प्रत्येक के नाम 1 / 10, 1 / 10 हिस्सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो पूर्व में प्रतिवादी न. 1 ता 4 के पिता कृष्ण के नाम 2 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी न. 5 ता 10 महेन्द्र के नाम 3 / 5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था व कृष्ण व महेन्द्र के फौत हो जाने के बाद विरास्तन इन्तकाल से दर्ज रिकार्ड हुआ है। पूर्व में उक्त रकबा रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 275 के 25.00 बीघा रकबा जिसमें कृष्ण का 2 / 5 हिस्सा यानि 10.00 बीघा खातेदारी था व महेन्द्र का 15.00 बीघा रकबा खातेदारी था व चकबन्दी पैमुद होते समय खसरा न. 275 का 25.00 बीघा रकबा दो चको में पैमुद हो गया। वादी ने रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के समय ही प्रतिवादी न. 1 ता 4 के पिता कृष्ण पुत्र चुनीराम से उनके जीवनकाल में ही उसके हिस्सा का 10.00 बीघा खातेदारी रकबा दिनांक 17.08.2007 को ही खरीद कर 10.00 बीघा रकबा का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी का कब्जा मौके पर चक 14 एस एल डी के पत्थर न. 74 / 380, 742381 के 2.531 हैक रकबा पर ही है। वादी प्रतिवादी न. 1 ता 4 के पिता के नाम व हिस्सा के 10.00 बीघा रकबा का रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार है, घोषित किया जावे व खाता विभाजन में चक 14 एस एल डी का 2.537 हैक रकबा दिया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड होकर प्रतिवादीगण को साधारण एंव पंजीकृत डाक के साथ–साथ जरिये अखबार तलब किया गया। परन्तु प्रतिवादीगण न. 1 ता 10 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई व प्रतिवादी न. 11 की ओर अधिवक्ता बृजमोहन शर्मा उपस्थित हुये। वादी एवं प्रतिवादी न. 11 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के खसरा न 275 के 25.00 बींघा जिससे जैर प्रकरण दोनो चको मे 25.00 बीघा रकबा पैमुद हुआ जिसमे प्रतिवादी न 1 ता 4 के पिता कृष्ण का 10.00 बीघा यानी 2 / 5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हुआ है यह रकबा खसरो के समय ही वादी ने रजिस्टर्ड बैयनामा 17.08.2007 से खरीद [illegible] कब्जा प्राप्त कर लिया है व चक 14 एसएल डी के जैर प्रकरण 2.531 हैक रकबा पर वादी [illegible] का कब्जा काश्त है इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दोनो चको से कृष्ण व उसके वारीसो का नाम कलमजन किया जाकर जैरप्रकरण चक 14 एस.एल.डी के रकबा से कृष्ण का नाम व चक 13 एस एल डी में इन्तकाल न. 272 से दर्ज प्रतिवादी न. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे व इनके स्थान पर दोनो चको मे वादी को 2/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी न. 5 ता 10 के पिता महेन्द्र सिह पुत्र बुधसिह के नाम का चक 13 एस एल डी व 14 एस एल डी का 15.00 बीघा रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.05.2013 से प्रतिवादी न. 11 ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा प्रतिवादी न. 11 के पक्ष में इसी न्यायालय से प्रकरण संख्या 172/2023 दिनांक 17.10.2023 को डिक्री जारी हो चुकी है तथा प्रतिवादी न. 5 ता 10 के पिता का नाम कलमजन का निर्णय एंव डिक्री प्राप्त कर ली है। इसलिए चक 14 एस एल डी के जैर प्रकरण 2.531 हैक रकबा से मृतक महेन्द्र का नाम का 3/5 हिस्सा व चक 13 एस एल डी से महेन्द्रसिह के वारिस प्रतिवादी न. 5 ता 10 के नाम का 6/10 हिस्सा कलमजन कर दोनो चको मे 3/5 हिस्सा प्रतिवादी न 11 के नाम खातेदारी दर्ज किया जावे व चक 13 एस एल डी का जैर प्रकरण 3.670 हैक रकबा प्रतिवादी न. 11 को खाता विभाजन मे दिया जावे।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्यो में उभय पक्ष द्वारा स्वीकार करने पर राजीनामा तस्दीक किया गया तथा उभय पक्ष ने बहस में राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। यह बात सही है कि जैर प्रकरण चक 13 एस एल डी व चक 14 एस एल डी में मृतक कृष्ण पुत्र चुनीराम का 2/5 हिस्सा मे यानी 10.00 बीघा रकबा खातेदारी था जो चकबन्दी से पूर्व रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के समय से ही कृष्ण से वादी ने पंजीकृत बैयनामा दिंनाक 17.08.2007 से खरीद लिया था तथा जैरप्रकरण रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 275 के 25.00 बीघा रकबा से ही चक 14 एस एल डी में 2.531 हैक व चक 13 एस एल डी में 3.670 हैक रकबा पैमुद हुआ है। जब विक्रेता कृष्ण ने अपने 2/5 हिस्सा का तमाम रकबा ही बैचान कर दिया था तो विक्रेता कृष्ण पुत्र चुनीराम का हिस्सा शेष नही रहता है। इसलिए चक 14 एस एल डी के 2.531 हैक रकबा में कृष्ण का 2/5 हिस्सा व चक 13 एस एल डी के 3.670 हैक रकबा में कृष्ण के वारिसान प्रतिवादी न. 1 ता 4 का नाम कलमजन योग्य है व रामकुमार इन दोनो चको मे विक्रेता कृष्ण के 2/5 हिस्से के रकबा का खातेदार हो गया है व खाता विभाजन का हकदार हो गया है । चक 14 एस एल डी के 2.531 हैक रकबा में महेन्द्र सिह के नाम के 3/5 हिस्से व चक 13 एस एल डी के 3.670 हैक से महेन्द्र सिह के वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी न. 5 ता 10 के नाम का 6/10 हिस्से का रकबा प्रतिवादी न. 11 ने रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.05.2013 से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2023 को 3/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है व चक 14 एस.एल.डी से महेन्द्रसिह का नाम व चक 13 एस.एल.डी. मे मृतक महेन्द्रसिह के वारीसो के नाम का 3/5 हिस्सा कलमजन किया जाने योग्य है तथा दोनो पक्ष राजीनामानुसार चक 14 एस एल डी का 2.531 हैक रकबा वादी को खाता विभाजन में दिया जाना व चक 13 एस एल डी का 3.670 हैक रकबा खाता विभाजन में प्रतिवादी न. 11 बंशीलाल को दिया जाना स्वीकार कर रहे है। जो कि हिस्सानुसार ही है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार करना मै उचित समझता हूँ।

अतः वाद वादी स्वीकार कर चक 14 एस. एल. डी. की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 के 2.531 हैक अ.क.व चक 13 एस. एल. डी. की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 के 3.670 हैक अनकमाण्ड रकबा में वादी रामकुमार को 2/5 हिस्सा का व प्रतिवादी न 11 बंशीलाल को 3/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है व जैर प्रकरण चक 14 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 के 2.531 हैक अक. रकबा से कृष्ण पुत्र चुनीराम का नाम व महेन्द्रसिह पुत्र बुधसिह का नाम कलमजन किया जाने का व चक 13 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 के 3.670 हैक अनकमाण्ड रकबा से प्रतिवादी न 1 ता 10 का नाम कलमजन किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा उक्त दोनो चको के रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

वादी रामकुमार को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा – चक 14 एस. एल. डी. की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 का 2.531 हैक अक. खातेदारी रकबा

प्रतिवादी न. 11 बंशीलाल को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा – चक 13 एस. एल. डी. की जमाबन्दी सॅवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 का 3.670 हैक अक.खातेदारी रकबा ।

तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशानुसार रिकार्ड में अमलदरामद कर वादी एंव प्रतिवादी न. 11 के नाम खाता विभाजन अनुसार अलग–अलग रकम कायमी का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

रामकुमार पुत्र श्री नानुराम जाति नायक साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1 दलीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी हाल निवास वार्ड न. 6, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2 गीता देवी
3 रोशनी देवी
4 सावित्री देवी
} पुत्रीयान श्री कृष्ण पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी हाल निवास वार्ड न. 6, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़राजस्थान।

5 अमरजीतसिह पुत्र
6 जगजीतसिह पुत्र
7 श्रवण सिह पुत्र
8 कुलदीप कौर पुत्री
9 बिरो पत्नी
10 मलकीतो पुत्री
} महेन्द्र सिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड न. 16, दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

11 बंशीलाल पुत्र श्री सैदाराम जाति नायक साकिन मालसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

13 उप पजीयंक कार्यालय सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88–188–53–209 आर.टी.ए._मुकदमा न. 240 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी न. 11 बृजमोहन शर्मा व पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्या:– 240/2023
रामकुमार बनाम दलीपकुमार आदि

वाद वादी स्वीकार चक 14 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 के 2.531 हैक अक. व चक 13 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 के 3.670 हैक अक. रकबा में वादी रामकुमार को 2/5 हिस्सा का व प्रतिवादी न 11 बंशीलाल को 3/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है व हिस्सानुसार खातेदारी रकबा दर्ज करने का व जैर प्रकरण चक 14 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 के 2.531 हैक अक.रकबा से कृष्ण पुत्र चुनीराम का नाम व महेन्द्रसिह पुत्र बुधसिह का नाम कलमजन किया जाने का व चक 13 एस एल डी की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 के 3.670 हैक अनकमाण्ड रकबा से प्रतिवादी न 1 ता 10 का नाम कलमजन किया जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है तथा जैर प्रकरण दोनो चको के दोनो खातो के उक्त रकबा का वादी एव प्रतिवादी न 11 के नाम निम्नानुसार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है:–

वादी रामकुमार को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा – चक 14 एस. एल. डी. की जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता न. 6/55 के पत्थर न. 74/380, 74/381 का 2.531 हैक अनकमाण्ड खातेदारी रकबा

प्रतिवादी न. 11 बंशीलाल को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा – चक 13 एस. एल. डी की जमाबन्दी सॅवत 2070 ता 73 के खाता न. 7/12 के पत्थर न. 72/381, 73/381 का 3.670 हैक अक. खातेदारी रकबा ।

तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशानुसार रिकार्ड में अमलदरामद कर वादी एंव प्रतिवादी न. 11 के नाम अलग–अलग रकम कायमी का आदेश दिया जाता है।

नोज ....X........... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह .... X .... फस्दों की पालना ...... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.12.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested